

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:-

संख्या 15/एम 1-06/2015...../ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा 12 के तहत विश्वविद्यालय के सभा (कोर्ट) का गठन किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के सभा का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1	माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2	कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	उपाध्यक्ष
3	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार	सदस्य
4	डीन, छात्र कल्याण, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	सदस्य
5	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य
6	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार	सदस्य
7	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार	सदस्य
8	प्रो० कमल प्रसाद, प्रॉक्टर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	सदस्य
9	प्रो० अर्जुन कुमार सिंह, प्रधानाचार्य, जे०एल०एन०मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	सदस्य
10	प्रो० अंचित्या, प्रधानाचार्य, बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, भागलपुर	सदस्य
11	फादर थॉमस पेरूमलिल, प्रधानाचार्य, सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटना	
12	राम वचन राय, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद्	सदस्य

13	डॉ रणवीर नंदन, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद	सदस्य
14	श्री गनीष कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
15	श्रीमती कुमारी मन्जु वर्मा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
16	श्री कृष्ण नंदन यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
17	श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
18	डा० बसंत सिंह लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक, पटना	सदस्य
19	डॉ० उत्पल कान्त सिंह, लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक, पटना	सदस्य
20	श्री कृष्णा प्रसाद सिंह, वरीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना	सदस्य
21	डॉ० निहोरा प्रसाद यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राम कृष्ण द्वारिका महाविद्यालय, पटना।	सदस्य

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक ०७/०८/१५

ज्ञापांक:—.....1567...../

प्रतिलिपि:—राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक ०७/०८/१५

ज्ञापांक:—.....1567...../

प्रतिलिपि:—मुख्य सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/ निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/निदेशक (उच्च शिक्षा) एवं संबंधित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

22/7/15